संख्या–3723 / 9–आ–4–99–606एन / 99

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग –4 लखनऊ : दिनाँक 5 जनवरी, 2000

विषय :पट्टावधि समाप्त नजूल भूमि के बैनामा होने के उपरान्त अंतिम क्रेता के ''टाइटिल'' की वैधता स्पष्ट न होने की स्थिति में फ्री–होल्ड की व्यवस्था।

महोदय,

शासन के संज्ञान में कई ऐसे प्रकरण लाये गये हैं जिनके नजूल भूमि के पट्टे की सम्पूर्ण अवधि समाप्त हो चुकी है और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में बीच में कई बार विक्रय / हस्तान्तरण होने के बाद अन्तिम क्रेता द्वारा फ्री–होल्ड हेतु आवेदन किया गया है परन्तु वह अपने ''टाइटिल'' की वैधता स्थापित करने के लिए पट्टेदार द्वारा प्रथम हस्तान्तरण से अन्तिम हस्तान्तरण / विक्रय की ''लिंक'' स्थापित करने के लिए सभी हस्तान्तरण अभिलेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्रेता के रूप में फ्री–होल्ड किये जाने में कठिनाई है। ऐसे कुछ मामलों में यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या ऐसे क्रेता को अवैध कब्ज़ेदार मानते हुए उनके लिए निर्धारित व्यवस्था अनुसार फ्री–होल्ड किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए इस प्रस्तावित कार्यवाही पर समाचार–पत्र के माध्यम से सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित कर ली जाय जो अपने को उस भूमि का पट्टेदार मानते हों अथवा उसके अधिकार रखने का दावा रखते हों । यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस पर विचार करते हुए गुण / अवगुण के आधार पर उसके दावे पर निर्णय करते हुए फ्री– होल्ड के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा अन्यथा अन्तिम क्रेता के भूखण्ड पर कब्जे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अवैध कब्जेदार मानते हुए फ्री–होल्ड पर विचार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या –2261 / 9–आ–4–96–704 एन / 97, दिनाँक 1 दिसम्बर, 1998 के प्रस्तर–7 (4) का लाभ, यदि लागू हो तो अनुमन्य होगा।

2. कृपया उपरोक्त व्यवस्थानुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।